हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

76वीं बैठक का एजेण्डा

दिनांक: 09/03/2023

(परिचालन के माध्यम से)

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
4. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
6. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
7. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर हरिद्वार।

संख्या : 4363/प्रशा0–2(क)–22/79/2022–23 **दिनांकः 13/03/2023**

विषय : हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.03.2023 (परिचालन के माध्यम से सम्पन्न) के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.03.2023 को (परिचालन के माध्यम से) अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल गढ़वाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्तम सिंह चौहान)
O/C
सचिव

प्रतिलिपिः–

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, गढ़वाल को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

(उत्तम सिंह चौहान)
O/C
सचिव

Scanned with CamScanner

कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,हरिद्वार

संख्या : 4362 /प्रशा0–2(क)–22/79/2022–23 दिनांकः 13/03/2023

1– संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय, रूडकी
2– मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
3– प्राधिकरण तहसीलदार, हरिद्वार।
4– अधीक्षण अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार ।
5– अधिशासी अभियन्ता/उद्यान अधिकारी/समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर।
6– प्रशासनिक अधिकारी/समस्त वाद सहायक।
7– आई0टी0अनुभाग/गार्ड फाईल।

प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.03.2023 (परिचालन के माध्यम से सम्पन्न) के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने–अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

सचिव
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

प्रतिलिपिः
उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

Scanned with CamScanner

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 76 वी बोर्ड बैठक
(परिचालन विधि) का कार्यवृत्त

पत्रावली संख्या:– प्रशा0 2(क)/22/ /2022–23

मद संख्या 76 (01)

विषय:– अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 एवं यथा समय–समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय–समय पर संशोधित को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–360 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 एवं यथा समय–समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय–समय पर संशोधित को प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से अंगीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव निम्नवत् है:–

1. हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 एवं यथा समय–समय पर संशोधित तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं यथा समय–समय पर संशोधित को अंगीकृत किया जाना है।
2. लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों की सीधी भर्ती द्वारा चयन करने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को अधियाचन भेजने संबंधी कार्यवाही ।
3. लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों हेतु हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।
4. लिपिक संवर्गीय कर्मचारी एवं वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों के अन्तर्गत राजपत्रित पदों पर पदोन्नति एवं तैनाती (राज्य स्तर संवर्गीय) हेतु मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण नियुक्ति प्राधिकारी होगें ।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नियमावली अंगीकृत करने के उपरान्त इसकी स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव (परिचालन के माध्यम से) प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

पत्रावली संख्या:– प्रशा0 2(क)/22/ /2022–23

मद संख्या 76 (02)

विषय:– नगर निगम हरिद्वार द्वारा प्रस्तावित **खसरा संख्या–110, ग्राम सराय हरिद्वार में 2500.00 वर्गमी0 भूमि पर SORTING BALING SHREDDING PACKAGING AND STORAGE OF DRY MUNICIPAL SOLID WASTE के निर्माण हेतु CAF-ID NO-42918 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।**

नगर निगम हरिद्वार द्वारा खसरा संख्या–110, ग्राम सराय हरिद्वार में 2500.00 वर्गमी0 भूमि पर **SORTING BALING SHREDDING PACKAGING AND STORAGE OF DRY MUNICIPAL SOLID WASTE** के निर्माण हेतु **CAF-ID NO-42918** के द्वारा अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है । पत्रावली के गतनोट शीट संख्या–01 पर प्रस्तुत आख्यानुसार हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार प्रश्नगत स्थल कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है जिसके अन्तर्गत "ग्रामीण आबादी के स्पॉट जोन सीमा के अन्तर्गत एकल आवासीय भवन, दैनिक उपयोग की दुकाने, फार्म

Scanned with CamScanner

हाउस एवं उस से संबंधित भवन, कृषि, बागवानी, चाय बागान, बाग, नर्सरी, खुला पिकनिक स्थल, वन्य जीव पार्क / अभ्यारण, वन क्षेत्र, सामाजिक वानिकी, दुग्ध एवं मुर्गी पालन केन्द्र, कुटीर उद्योग, भण्डारण, शोधन एवं विक्रय केन्द्र, फीलिंग एवं सर्विस स्टेशन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाओं से संबंधित भवन, पशु चिकित्सालय" अनुमन्य उपयोग के अन्तर्गत किये जाने का उल्लेख किया गया है । उल्लिखित भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण के संबंध में भवन उपविधि के मानकों में कोई उल्लेख अथवा विवरण न होने के कारण प्रस्ताव कार्यालय पत्र संख्या–1922 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा वरिष्ठ ग्राम एवं नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था ।

उक्त के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या–1494 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि हरिद्वार महायोजना–2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन के बिन्दु संख्या–10.3.7 कृषि एवं हरित क्षेत्रान्तर्गत विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण, नियंत्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है । प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में उक्त व्यवस्था के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में विचारकर निर्णय लिये जाने हेतु सूचित किया गया है । प्रश्नगत्त स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थल पर सिविल निर्माण संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसे शमन किये जाने हेतु शमन आवेदन करना होगा ।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव (परिचालन के माध्यम से) प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव संख्या–76(01), 76(02) प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

कृते मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक
ग्राम्य एवं नगर नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून

अध्यक्ष
न0पा0प0 शिवालिक नगर
हरिद्वार

नगर आयुक्त
नगर निगम
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव/प्रमुख सचिव
वित्त

सचिव/प्रमुख सचिव
पेयजल

सचिव/प्रमुख सचिव
सिंचाई

सचिव/प्रमुख सचिव
तीर्थाटन/पर्यटन

कृते अपर मुख्य सचिव
आवास

09.03.23

आयुक्त, गढवाल मण्डल/
एंव अध्यक्ष ह0रू0वि0प्रा0

Scanned with CamScanner